

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 09/2025

अपीलांट—

1. कुंपा पुत्र मासिंगाराम
2. वीरमाराम पुत्र प्रभुराम जाति
रवारी निवासी फागलिया
तहसील सेड़वा जिला
बाड़मेर
3. रामसिंह पुत्र कृष्णासिंह
4. जब्बरसिंह पुत्र रावतसिंह
जाति राजपूत निवासी
फागलिया तहसील सेड़वा
जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोंडेंट्स —

- 1 संजू कंवर पत्नी जसवंतसिंह जाति
राजपूत निवासी फागलिया तहसील
सेड़वा जिला बाड़मेर
- 2 तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरुद्ध आदेश क्रमांक 2021/594 दिनांक 26.11.2021 जो तहसीलदार
सेड़वा द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :-

1. श्री डूंगरसिंह, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री योगेश शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 01 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पों. संख्या 02 प्रफोर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 17.03.2026

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,
1955 के तहत रेस्पोंडेंट तहसीलदार सेड़वा के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन
हेतु पारित आदेश क्रमांक 2021/594 दिनांक 26.11.2021 के विरुद्ध पेश की
गई है।



2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलांट्स एवं उतरदाता संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी के मूल खेत खसरा नंबर 267 रकबा 74.16 बीघा मौजा फागलिया पटवार क्षेत्र फागलिया तहसील सेड़वा जिला बाडमेर में आया हुआ है। ग्राम फागलिया पटवार क्षेत्र फागलिया तहसील सेड़वा जिला बाडमेर के खेत खसरा नंबर 267 रकबा 74.16 बीघा के संयुक्त खातेदार अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेंट संख्या 01 ने प्रार्थना-पत्र दिनांक 26.11.2021 को तहसीलदार सेड़वा के समक्ष प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021 में प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार सेड़वा द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 2021/594 दिनांक 26.11.2021 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.05.2025 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।
3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत अपील के विचारण के दौरान रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर इकबाली जवाब प्रस्तुत कर अपील के तथ्यों की ताईद की गई।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार सेड़वा द्वारा पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश क्रमांक 2021/594 दिनांक 26.11.2021 पारित करने में भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। वक्त बंटवाडा सवाईसिंह पुत्र रावतसिंह सहखातेदार था परंतु बंटवाडे के बाद सवाईसिंह ने अपने हिस्से की भूमि का बेचान उतरदाता संख्या 1 को कर दिया है, जिस कारण वर्तमान में सवाईसिंह के स्थान पर उतरदाता संख्या 1 का नाम दर्ज है। पूर्व खातेदार सवाईसिंह ने अपीलांटगण को वादग्रस्त खेत का मौके पर कब्जा काश्त व पूर्व आपसी सहमति से किए गए बाहामी बंटवाडा अनुसार विभाजित करने व पक्षकारान का पृथक-पृथक खातेदारी अंकन करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर अपीलांटगण ने मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार बंटवाडा करने हेतु सहमति दी। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा सवाईसिंह के दबाव में रहते हुए विभाजन समझौता प्रस्ताव अपीलांट्स एवं उतरदाता संख्या



01 द्वारा नक्शे पर किए गए हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान पर हल्का पटवारी ने खसरा नंबर 267 के संबंध में नक्शा सवाईसिंह के कहे अनुसार तैयार कर तहसीलदार सेड़वा के समक्ष पेश कर दिया। इस समस्त कार्यवाही का अपीलांट्स ग्रामीण व्यक्ति होने व कानूनी बारीकियों से अनभिज्ञ होने से ज्ञान नहीं हो सका। इस स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा उक्त के बारे में सम्पूर्ण जानकारी पूर्व में नहीं हुई और अरसा 20-25 दिन पूर्व अपीलांट्स ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार अपने हिस्से की भूमि पर खरीफ फसल की तैयारी करने हेतु सुड़ किया जाने लगा तब उतरदाता संख्या 1 ने भूमि का विधिवत रूप से पटवारी से पैमाईश करवाकर काबिज होने के बाद ही काश्त करने का कहा, जिस पर अपीलांट ने कहा कि हम मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार ही काबिज है, जिस पर उतरदाता संख्या 1 ने कहा कि मौके की स्थिति में व तरमीम में भिन्नता है, जिस पर अपीलांट को अपना हक हिस्सा संशयप्रद लगा जिस पर अपीलांट ने विभाजन प्रस्ताव व आलोच्य आदेश की प्रति दिनांक 20.05.2025 को प्राप्त करने पर ही बंटवाड़े के गलत होने की जानकारी हुई। इस प्रकार से ज्ञान होने की तारीख से अन्दर मयाद पेश है तथा जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई है। इस हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है।
6. रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से इकबाली जवाब प्रस्तुत कर अपीलांट्स की अपील के तथ्यों की ताईद की गई तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपीलांट व रेस्पोंडेंट्स के हिस्सों का विभाजन मौका पर कब्जा-काश्त अनुसार पुनः किये जाने का निवेदन किया।
7. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट्स एवं उतरदाता संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी के मूल खेत खसरा नंबर 267 रकबा 74.16 बीघा मौजा फागलिया पटवार क्षेत्र फागलिया तहसील सेड़वा जिला बाडमेर में आया हुआ है। ग्राम फागलिया पटवार क्षेत्र फागलिया तहसील सेड़वा जिला बाडमेर के खेत खसरा नंबर 267 रकबा 74.16 बीघा के संयुक्त खातेदार अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेंट संख्या 01 ने प्रार्थना-पत्र दिनांक 26.11.2021 को तहसीलदार सेड़वा के समक्ष प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021 में प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन



करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार सेड़वा द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 2021/594 दिनांक 26.11.2021 पारित किया गया। अपीलाट्स की अपील एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाब अनुसार इस विभाजन इकरारनामा में भूमि के विभाजन नक्शा की प्रस्तावित तरमीम की मौका कब्जा अनुसार जांच नहीं करवाई गई। इस प्रकार तहसीलदार सेड़वा द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। पक्षकारान ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब व अपील का समर्थन करते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जाकर मौका कब्जा काश्त एवं हिस्सा रकबा अनुसार पुनः नये सिरे से विभाजन किये जाने का निवेदन किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सेड़वा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलाट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोंडेंट तहसीलदार सेड़वा द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 2021/594 दिनांक 26.11.2021 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार सेड़वा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।
9. निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेन्द्र सिंह कलेक्टर वाडमेर)
अति. जिला कलेक्टर, वाडमेर